कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक(महात्मा गांधी नरेगा) एवं कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/80/2020

नरेन्द्रसिंह द्वारा सुवालाल गुर्जर ,प्लॉट नं0 262/19,,सैक्टर–26,बनास अपार्टमेंट के पीछे,प्रतापनगर,जयपुर ।

बनाम

अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद(ग्रा0वि0प्र0) भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 27.10.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी नरेन्द्रसिंह द्वारा सुवालाल गुर्जर ,प्लॉट नं0 262/19,,सैक्टर–26,बनास अपार्टमेंट के पीछे,प्रतापनगर,जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2020 लोक सूचना अधिकारी ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शासन सचिवालय जयपुर से सूचना चाही गई थी । परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.07.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा 6(3) के तहत अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर को भेजा गया ।मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर द्वारा अपने पत्र कमांक 4395 दिनांक 11.08.2020 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई गई किन्तु उक्त सूचनाओं से प्रार्थी के संतुष्ट नहीं होने से प्रार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर सम्पूर्ण सूचनाऐं उपलब्ध कराने का निवेदन किया है ।

प्रार्थी द्वारा यह प्रथम अपील जिला प्रमुख को सम्बोधित करते हुए की गई है, जो लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर को प्राप्त होने पर उन्होंने अपने पत्रांक 1749 दिनांक 06.10.2020 से प्रार्थी की अपील इस तथ्य के साथ भिजवाई गई है कि कार्यालय द्वारा आवेदक को निर्धारित अवधि में चाही गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है । इसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील जिला प्रमुख के नाम से इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है । मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर ने अपील जिला प्रमुख के नाम होने के कारण सुनवाई हेतु इस कार्यालय को भेजी गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में अति0 जिला

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर के पत्रांक 4395 दिनांक 11.08.2020 का अवलोकन किया । उक्त पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए बिन्दु संख्या 2,3,4 की सूचना न देने का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया गया है । जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई है । लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
कलक्टर ,भरतपुर